न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/139/2025 दायर दिनांकः–18.09.2025 रजि0 न0 2025/348

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री हरलाल सैनी पुत्र श्री नत्थूराम सैनी, नि० 40, शिवनगर कॉलोनी, 160 फीट रोड, अलवर (राज०) 301001	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 07.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 21.05.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०ू अ०/प्रथम अपील/2025/2010 दिनांक 06.10.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 21.05.2025 को राज सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293446703601878 दिनांक 23.05.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 8845418955 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से मूल आवेदन, सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नगर विकास न्यास अलवर द्वारा उनके पत्र सं. यू०आई०टी०/आर०टी०आई०/2024/2053–54 दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से उक्त आवेदन दिनांक 23.05.2025 को अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक मे निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०ू अ०/प्रथम अपील/2025/2010 दिनांक 06.10.2025 एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नगर विकास न्यास के पत्रांक यू०आई०टी०/आर०टी०आई०/2024/2053–54 दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 07.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर * अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर